न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 16-01-24 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 72/2002

तारीख दायर 25–05–2002

तारीख फैसला 16/01/2024

उनवान

01 फतेला पुत्र नबीखां (मृतक)

1/1 हैदर

1/2 मजीद पिसरान फतेला जाति मेव निवासी गोल तहसील तिजारा पूर्व जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

1/3 कैसर पुत्री फतेला जाति मेव निवासी गोल तहसील तिजारा पूर्व जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

02 नसीब खां पुत्र नबी खां (मृतक)

2/1 आसीनी बेवा नबी खां

2/2 सुभान खां

2/3 शेरमोहम्मद

2/4 अजमत खां

2/5 सावत खां

2/6 साहबदीन पुत्रान नसीब खां जाति मेवान निवासी गोल तहसील तिजारा पूर्व जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

————:: वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, द्वारा पैरोकार सरकार/तहसीलदार/कस्टोडियन कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा

निर्णय

दावा इश्तकरार हक जै0दफा 88,89 दावा हुक्म इम्तनाई दवामी जै0दफा 188 राज0 टीनेन्सी एक्ट–1955

संक्षिप्त में दावा वाकेयात यह है कि मृतक वादी फतेला व नसीब [illegible] पुत्रान नबी खां ने यह वाद न्यायालय में सहायक कलेक्टर तिजारा समक्ष इस्तकरार हक [illegible] इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

88,88,88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत ग्राम गोल की आराजी हाल ख0न0 344 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 345 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 346 रकबा0.14 बिस्वा, 347 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 350 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व 371 मिन रकबा 3.00 बीघा जो साबिक खसरा नम्बर क्रमशः 376, 375, 349, 374, 347, 339 से बने है वादीगण की खुदकाश्त खातेदारी आराजी है। उक्त विवादित आराजीयात पर वे बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से बिस्वेदार वे उसके बाद से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज वे दाखिल चले आ रहे हैं। लगान सरकार को अदा कर रहे हैं। वादीगण के खुदकाश्त व खातेदारी का इन्द्राज साबिक रिकॉर्ड में किया हुआ है। सेटलमेंट विभाग ने संवत 2029 में बिलत बन्दोबस्त जारी करते हुए खिलाफा वाकियात मौका साबिक इन्द्राज को बिना किसी अख्तयार व अधिकार बिना किसी आधार पर परिवर्तन कर सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया जबकि मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त ताहाल चला आ रहा है। इस गलत इन्द्राज की पुनर्वावृति वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे चली आ रही है जिसके कायम रहने से यह अन्देशा है कि वादीगण को आराजी के हकूकों से जायद होना पड़े। जो वादीगण के हकूकों के प्रति बातिल व बेअसर हैं। वादीगण इन्द्राज सिवायचक को अपने हक में अपने नाम का इन्द्राज कराने के अधिकारी है। खातेदारी करार पाने के मुस्तहक हैं।

गलत इन्द्राज के चलते प्रतिवादी ने दिनांक 20.03.1992 को वादीगण को आराजी से बेदखल करने, कब्जा करने तथा पेन्लटी वसूली का प्रयास किया जिससे वादीगण को नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा है। जिसके विरूद्ध वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वाद वादी प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात न्यायालय प्रकिया पूर्ण की जाकर तनकी कर विवेचन कर, वादीगण की गवाही लेखबद्ध की गई जिसमें गवाह पी0डल्यू0–1 के रूप में फतेला के बयान लेखबद्ध हुए जिसने अपने वाद पत्र की बातों को ताईद किया व रिकॉर्ड प्रदर्श कराया जिसमें जमाबन्दी 2019 प्रदर्श–1 है, नकल जमाबन्दी संवंत 2023, एक प्रदर्श–2 है जमाबंदी संवंत 2022, प्रदर्श–3 नकल खसरा गिरदावरी संवंत 2018 लगायत 2024 प्रदर्श–4 नकल खसरा गिरदावरी 2022 लगायत 2026 प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7 पेश किया व पी0डब्ल्यू0–2 के रूप में गवाह प्यारेलाल के बयान लेखबद्ध हुए जिसने अपने बयान में कथन किए किए की उक्त आराजीयात पर फतेला व उसका भाई काश्त व काबिज है व आज भी मौके पर काबिज है मैं तो मेरी उम्र से इन्हीं का कब्जा देखता आ रहा हूं। प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए, तत्पश्चात निर्णय पारित किया गया। न्यायालय सहायक कलेक्टर तिजारा ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.97 में वाद में विवादित आराजीयत में से ख0न0 साबिक 349 रक्बा 0.14 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

हाल खसरा नम्बर 346 रक्बा 0.14 बिस्वा तथा साबिक खसरा न0 350 रक्बा 1 बीघा 01 बिस्वा हाल खसरा न0 347 रक्बा 1 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम गोल तहसील तिजारा आंशिक डिकी पारित करते हुए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया तथा शेष आराजीयत साबिक ख0न0 376 हाल खसरा 344, साबिक ख0न0 375 हाल ख0न0 345, साबिक खसरा न0 374 हाल ख0न0 347 साबिक खसरा न0 339 हाल खसरा न0 371 की हद तक दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आराजीयत पर कब्जा साबित नहीं होता व आराजी कस्टोडियन है, सिवायचक है।

वादीगण ने निर्णय दिनांक 15.02.97 से व्यथित होकर न्यायालय भू0प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहां अपील प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय श्रीमान भू–प्रबन्धन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 25.06.1998 में साबिक खसरा 339, 375, 376, 374, के संबंध में कस्टोडियन विभाग को पक्षकार बनाया जाकर वादी अपीलान्ट को पुनः साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करना उचित मानते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई। न्यायालय सहा0 कल0 तिजारा के निर्णय दिनांक 15.02.97 बाबत साबिक ख0न0 349, 350 हाल खसरा न0 346, 347 के संबंध में आदेश यथावत रखा गया। खसरा नम्बर साबिक 375, 376, 374, 339 हाल खसरा न0 344, 345, 350, 371 ग्राम गोल तहसील तिजारा के संबंध में उक्त निर्णय दिनांक 15.02.97 निरस्त किया जाकर इन खसरा नम्बरों के संबध में पुनः सनवाई हेतु निरस्त किया जाकर इन खसरा नम्बरों के संबंध में पुनः सुनवाई हेतु ए0सी0एम0 तिजारा के पास रिमांड किया गया तथा निर्णय में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पुनः न्याय संगत निर्णय पारित करने के निर्देश प्रसारित किये गए।

अधीनस्थ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पुनर्गठित होने के पश्चात यह प्रकरण न्यायालय ए0सी0एम0 तिजारा से मुन्तकिल होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई है। अपीलीय निर्णय में पारित निर्देशों के अनुशरण में तहसीलदार कस्टोडियन तिजारा को पक्षकार बनाया जाकर जवाब प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया तथा दिनांक 23.02.99 को अपना जवाब प्रस्तुत किया अपने जवाब में तहसीलदार तिजारा वादी के वाद से जिम्मन न0 2 व 10 को अस्वीकार करते हुए वाद में विवादित आराजीयत साबिक ख0न0 375/2.8, 376/1.10, 339/3.00 व 374 वाके ग्राम गोल तहसील तिजारा को मुताबिक जमाबन्दी संवत 2015 के निष्क्रांत कस्टोडियन दर्ज [illegible] कीमतन आंवटन कराने के पश्चात ही भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त [illegible] करने का अवसर प्रदान

वादीगण को उनके पक्ष में दस्तावेज पेश करने [illegible] किया गया। वादीगण की ओर से बतौर साक्ष्य पी0डब्ल्यू01–ए0 [illegible]मान खां पुत्र नसीब खां, पी0डब्ल्यू02–ए0 शेरमौहम्मद पुत्र नसीब खां, पी0डब्ल्यू03 अजमत खान पुत्र नसीब खान, पी0डब्ल्यू4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

[illegible] पुत्र [illegible] खान, पी0डब्लयू5 उदल पुत्र राजाराम, पी0डब्लयू6 हारून पुत्र ईदू, पी0डब्लयू7 [illegible] पुत्र [illegible] खान निवासीगण वाके ग्राम गोल तह0 तिजारा के शपथ पत्र पेश किए है। [illegible] ने अपने शपथ पत्रो मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत कथनों का समर्थन किया है। वकील वादीगण ने [illegible] द्वारा बहस प्रस्तुत की।

[illegible] श्रीमान भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के निर्देशों के अनुसरण में पक्षकार बनाये जाने पर तहसीलदार कस्टोडियन तिजारा में वाद में विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान 375/2.08, 376/1.10, 339/3.00 व 374 वाके ग्राम गोल को संवत [illegible] में निष्क्रांत कस्टोडियन दर्ज होना बताया है तथा कस्टोडियन भूमि के नियमानुसार कीमतन आवंटन कराने के पश्चात भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

[illegible] में किया गया यह कथन कि कस्टोडियन भूमि के नियमानुसार कीमतन आवंटन कराने के पश्चात भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है, कानूनी तौर पर सही है एवं स्वीकार्य है।

भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत से विस्तारित होकर जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये और उनके स्वामित्व की भूमियों को यहां छोड़ गये राज0 सरकार द्वारा ऐसी भूमियों को अपने अधिकार में ले लिया गया तथा निष्क्रान्त कस्टोडियन भूमि घोषित की गई थी जिनका आवंअन कस्टोडियन विधियों व नियमों के तहत पाकिसतान से विस्थापित होकर आये दावेदार, गैर-दावेदार व स्थानीय व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था।

वाद में विवादित भूमि किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं रही हो जो यहां से विस्थापित होकर पाकिस्तान गया हो जैसा कि पुरातन रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है विवादित आराजीयात पर वादीगण के दादा, पिता और अब वादीगण काबिज व दाखिल हैं। वादीगण के दादा, पिता भी विस्थापित होकर नहीं गये तो भूमि निष्क्रांत व कस्टोडियन होने का प्रश्न ही नहीं है। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि का कस्टोडियन दर्ज होना, राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण अंकन व अमल होना प्रतीत होता है।

विवादित आराजीयात के संवंत 2029 के पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक का इन्द्राज नहीं होना पाया गया है जबकि दौराने सेटलमेंट संवंत 2029 में आराजी का अंकन सिवायचक लगाना कर दिया गया। सेटलमेंट द्वारा बगैर किसी सक्षम [illegible] द्वारा ऐसा करना त्रुटिपूर्ण है। वकील वादी द्वारा इस बाबत माननीय उच्च [illegible] बैंच जयपुर में निर्णित हुए प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम प्रभातीलाल [illegible] प्रस्तुत किया। संवत 2029 के बाद के राजस्व रिकॉर्ड में भी इस गलत इन्द्राज सिवाय चक [illegible] का इन्द्राज होता रहा है जो त्रुटिपूर्ण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] दावा वादीगण डिकी किया जाकर न्यायालय सहा0 कलेक्टर तिजारा के दिनांक 15.02.97 के [illegible] बाबत हाल आ0ख0न0 346 व 347 वाके ग्राम गोल के प्रभावी रहते हुए। आराजी हाल [illegible] 344/1.10, 345/2.03, 350/1.5, 371/3 बीघा वाके ग्राम गोल तह0 तिजारा का 1/2 भाग का फतेल (मृतक) के वारिसान मजीद, तैयब पुत्रान फतेला, फैसन, पुत्री फतेला हिस्सा [illegible] व वादी नसीब खां (मृतक) के वारिसान का 1/2 भाग का आसीनी पत्नी नसीब खां, [illegible] खां, शेरमोहम्मद, अजमत खां, सांवत खां, साहबदीन, हिस्सा बराबर जाति मेवान निवासी वाके ग्राम गोल तह0 तिजारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व के इन्द्राज को [illegible] किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल किया जावे। प्रतिवादी, वादीगण के [illegible] में मजामहत व मदाख्लत पैदा नहीं करे व आराजी को अन्यत्र आवंटित नहीं करे इस [illegible] की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिर्की जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:07 IST
Reason: SelfAttested